न्यायालय संभागीय आयुक्त, कोटा सभांग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री कैलाश चन्द मीना आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 100/2021/अपील/एल0आर0एक्ट/बूंदी

दायरा दिनांक 8.3.2021

किस्म अपीलः धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

1. राजेन्द्र कुमार आ0 रामप्रसाद शर्मा जाति ब्राहमण निवासी हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बूंदी राज0।
2. श्याममनोहर आ0 रामप्रसाद शर्मा जाति ब्राहमण निवासी हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बूंदी राज0।

.....अपीलार्थी

बनाम

1. प्रधानाध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय मांदोलिया का बरडा हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बूंदी–राज0।
2. उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बूंदी।
3. तहसीलदार हिण्डोली जिला बूंदी।

..... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री धीरेन्द्र मालव अभिभाषक अपीलार्थी
श्री सैफुद्धीन अंसारी अभिभाषक रेस्पो0

:: निर्णय ::

दिनांक 20.9.2021

अपीलार्थी द्वारा, प्रभारी अधिकारी प्रशासन गांव के संग अभियान 2010 मुकाम हिण्डोली (उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली) मे ग्राम हिण्डोली की भूमि ख0 सं0 3094 मे से 4 बीघा 10 बिस्वा भूमि रा0 प्रा0 विघालय मांदोलिया का बरडा–हिण्डोली के खेल मैदान हेतु आवंटन आदेश क्रमांक आवंटन/10/667–70 दिनांक 22.12.2010 के विरूद्ध न्यायालय हाजा मे अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम अन्तर्गत, रेस्पो0 के विरूद्ध पेश की गई।

1 अपील प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि प्रभारी अधिकारी प्रशासन गांव के संग अभियान 2010 मुकाम हिण्डोली (उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली) ने आदेश क्रमांक आवंटन/10/667–70 दिनांक 22.12.2010 से ग्राम हिण्डोली की भूमि खसरा सं0 3094 रकबा 11 बीधा 7 बिस्वा गे0 मु0 बर्डा मे से 4 बीघा 10 बिस्वा भूमि निःशुल्क रा0 प्रा0 विघालय मान्दोलिया का बरडा–हिण्डोली के खेल मैदान हेतु आवंटित किये जाने से व्यथित पक्षकार होना वर्णित करते हुये अपील, प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी के साथ न्यायालय हाजा मे इस आशय की पेश की गई कि अपीलाधीन आदेश वस्तुस्थिति, विधान एंव प्रक्रिया के सर्वथा विपरीत है कि राजकीय प्रा0 वि0 मान्दोलिया का बरडा हेतु पूर्व से 10 बीघा भूमि आवंटित है जिस पर स्कूल भवन बना हुआ है और शेष भूमि खाली पडी हुई है जिस पर खेल गतिविधियां की जा सकती है। अतः पृथक से खेल मैदान की आवश्यकता नही है। आवंटित भूमि सडक के दूसरी तरफ है जो स्कूल से काफी दूर है, बीच मे 148–डी राष्ट्रीय राजमार्ग (सडक) से हिण्डोली मे आने वाली पक्की सडक बनी हुई है जिस पर होकर हल्के व भारी वाहन हिण्डोली मे आते जाते है। खैल मैदान पर बच्चो को काफी दूर पैदल चल कर जाना होगा जिससे छोटे बच्चो के दुर्घटनाग्रस्त होने का खतरा हमेशा बना रहेगा। विघालय मे बच्चो का प्रवेशांक मात्र 10–15 है

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

गत 4 वर्षो से प्रवेशांक नगण्य होने से स्कूल बंद पडा है इस वर्ष चालू किया है। शाला भवन के पास ही लगभग 8 बीघा भूमि स्कूल परिसर मे खाली पडी हुई है जिसका उपयोग खेल मैदान हेतु किया जा सकता है। आवंटन अधिकारी ने स्कूल का भौतिक सत्यापन किये बिना केवल पंचायत के प्रस्ताव के आधार पर ही आवंटन आदेश पारित कर दिया जो खारिज किये जाने योग्य है। ख0सं0 3094 रकबा 11 बीघा 7 बिस्वा गे0 मु0 बर्डा है जो खातेदारी भूमि के मध्य मे स्थित है उक्त भूमि ख0 सं0 3094 मे से खेल मैदान हेतु आवंटित भूमि खसरा सं0 6440/3094 पर अपीलांट के पिता सन् 1972 से काबिज चले आ रहे थे और राज्य सरकार को निरन्तर पैनाल्टी राजकोष मे जमा कराते रहे है। कानूनन उक्त भूमि को अपीलांट अपने नाम कराने के अधिकारी है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने नियमन का अधिकार तय किये बिना वादग्रस्त भूमि को आवंटित करने मे भारी भूल की है। खसरा सं0 3094 अपीलांट के पिता की खातेदारी की समीपवर्ती भूमि है जिस पर अपीलांट के पिता का सन् 1972 से कब्जा चला आ रहा है। आवंटित भूमि खाली नही है। उक्त भूमि पर अपीलांट व अपीलांट के पिता काबिज चले आ रहे है। इस कारण अपीलाट को बेदखल किये बिना किया गया आवंटन गैरकानूनी व अवैध होने से खारिज किये जाने योग्य है, क्योंकि आवंटन रिक्त भूमि का ही किया जाता है। पटवारी से मंगवाई गई रिपोर्ट मे भी उक्त भूमि पर बाडे बने हुये होना अंकित है। आवंटित भूमि पर अपीलांट के पिता ने खातेदारी भूमि की सिंचाई हेतु कुआ खुदवा रखा है और शेष भूमि पर अपीलांट काश्त कर रहे है। आवंटित भूमि पर कभी स्कूल का कब्जा नही रहा और ना ही उक्त भूमि कभी खेल मैदान के काम मे ली गई। आवंटन को 11 वर्ष हो चुके है आवंटी द्वारा कब्जा नही लिया गया। इस कारण भी आवंटन खारिज योग्य है। आवंटन आदेश की शर्त सं0 4 के मुताबिक आवंटन के 6 माह के भीतर आवंटित भूमि पर निर्माण प्रारम्भ किया जाना व 2 वर्ष के भीतर पूर्ण करा लिया जाना था लेकिन आवंटी द्वारा शर्तो का उल्लधंन कर आंवटित भूमि पर आज तक भी कब्जा प्राप्त नही करने व कोई निर्माण नही करने से आवंटन खारिज योग्य है। इसी क्रम मे आवंटन आदेश की शर्त सं0 7 के अनुरूप भी आवंटन खारिज हो चुका है। इस कारण भी आवंटन आदेश निरस्ती का आदेश जारी किया जाना न्यायोचित एंव आवश्यक है। शाला प्रधान द्वारा स्कूल के लिये खैल मैदान हेतु भूमि आवंटन की आवश्यकता नही बताई है। उपरोक्त संपूर्ण विवेचन के आधार पर उक्त आवंटन निरस्त कराने का अपीलांट अधिकारी है। दिनांक 25.1.2021 को स्कूल के प्रधानाध्यापक द्वारा भूमि खेल मैदान की होने से अपीलांट को बेदखल किये जाने की धमकी देने पर आदेश की जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर अपील प्रा0 पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ पेश की गई। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जेरअपील आवंटन आदेश निरस्त करने की इस्तदुआ की गई।

2 अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील, दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

3 अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस मे अपील मीमों मे कहे गये कथनों को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि ख0 नं0 3094 रकबा 11 बीघा 7 बिस्वा गे0 मु0 बर्डा है जो खातेदारी भूमि के मध्य मे स्थित है उक्त भूमि ख0 सं0 3094 मे से खेल मैदान हेतु आवंटित भूमि खसरा सं0 6440/3094 पर अपीलांट के पिता सन् 1972 से काबिज चले आ रहे थे और राज्य सरकार को निरन्तर पैनाल्टी राजकोष मे जमा कराते रहे है। कानूनन उक्त भूमि को अपीलांट अपने नाम कराने के अधिकारी है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने नियमन का अधिकार

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

तय किये बिना वादग्रस्त भूमि को आवंटित करने मे भारी भूल की है। क्योंकि आवंटन रिक्त भूमि का ही किया जाता है। पटवारी से मंगवाई गई रिपोर्ट मे भी उक्त भूमि पर बाडे बने हुये होना अंकित है। आवंटित भूमि पर अपीलांट के पिता ने खातेदारी भूमि की सिंचाई हेतु कुआ खुदवा रखा है और शेष भूमि पर अपीलांट काश्त कर रहे है। आवंटित भूमि पर कभी स्कूल का कब्जा नही रहा और ना ही उक्त भूमि कभी खेल मैदान के काम मे ली गई। आवंटन आदेश की शर्त सं0 4 के मुताबिक आवंटन के 6 माह के भीतर आवंटित भूमि पर निर्माण प्रारम्भ किया जाना व 2 वर्ष के भीतर पूर्ण करा लिया जाना था लेकिन आवंटी द्वारा शर्तो का उल्लधंन कर आंवटित भूमि पर आज तक भी कब्जा प्राप्त नही करने व कोई निर्माण नही करने से आवंटन खारिज योग्य है। इसी क्रम मे आवंटन आदेश की शर्त सं0 7 के अनुरूप भी आवंटन खारिज हो चुका है। इस कारण भी आवंटन आदेश निरस्त किया जाना न्यायोचित है। अपने कथन के समर्थन मे 2021(2) डीएनजे(रेवे.) पेज 743 का न्यायिक उद्धरण पेश करते हुये कथन किया कि शाला प्रधान द्वारा स्कूल के लिये खैल मैदान हेतु भूमि आवंटन की आवश्यकता नही बताई है। पूर्व मे स्कूल के लिये 10 बीधा भूमि का आवंटन किया गया था जिसमे से 8 बीघा भूमि खाली पडी हुई है जो खेल मैदान के लिये उपयुक्त है तथा खेल गतिविधियां की जा सकती है। पृथक से खेल मैदान के लिये भूमि के आवंटन की आवश्यकता नही है। आवंटित भूमि सडक के दूसरी तरफ है जो स्कूल से काफी दूर है आवंटित भूमि के बीच मे 148–डी राष्ट्रीय राजमार्ग (सडक) से हिण्डोली मे आने वाली पक्की सडक बनी हुई है जिस पर होकर हल्के व भारी वाहन हिण्डोली मे आते जाते है। खैल मैदान पर बच्चो को काफी दूर पैदल चल कर जाना होगा जिससे छोटे बच्चो के दुर्घटनाग्रस्त होने का खतरा हमेशा बना रहेगा। दिनांक 25.1.2021 को स्कूल के प्रधानाध्यापक द्वारा भूमि खेल मैदान की होने से अपीलांट को बेदखल किये जाने की धमकी देने पर आदेश की जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर अपीलाधीन आदेश से प्रभावित पक्षकार होने से अपील प्रा0 पत्र धारा 96 सीपीसी एंव प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ अपील पेश की है। अतः उपरोक्त तथ्यो के परिपेक्ष्य मे अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जेरअपील आदेश अपास्त किया जाने का अनुरोध किया।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 ने बहस मे बताया कि प्रभारी अधिकारी ने प्रशासन गांव के संग अभियान 2010 मुकाम हिण्डोली मे ग्राम पंचायत हिण्डोली के प्रस्ताव एंव तहसीलदार हिण्डोली की रिपोर्ट के आधार पर वादग्रस्त सरकारी भूमि खसरा नं0 3094 रकबा 11 बी0 7 बिस्वा किस्म गै.मु.बर्डा ग्राम मांदोलिया का बरडा–हिण्डोली मे से 4 बीधा 10 बिस्वा राज0 प्रा0 वि0 मांदोलिया का बरडा के खैल मैदान हेतु आवंटित की है। मुताबिक राजस्व रिकार्ड वादग्रस्त भूमि सिवायचक चारागाह किस्म गे.म.बर्डा दर्ज होने से प्रकरण मे अपीलांट व्यथित पक्षकार नही है। वादग्रस्त भूमि सरकारी भूमि होने से अपीलांट को विधिक तौर पर कोई अधिकार प्राप्त नही होते है। अतः प्रथम दृष्टया ही प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी खारिज किया जाकर तदानुसार अपील अपीलांट पोषणीय नही होने से खारिज किये जाने योग्य है।

5. हमने पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक पर मनन किया। अपीलांट द्वारा जेरअपील आदेश के विरूद्ध अपील व्यथित पक्षकार होना प्रकट करते हुये प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी के साथ प्रस्तुत की है। अतः अपील का गुणावगुण पर विचारण करने से पूर्व यह विनिश्चिय किया जाना है कि आया अपीलांट प्रश्नगत अपील प्रकरण मे व्यथित पक्षकार है अथवा नही। अपीलांट/प्रार्थी द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी मे वर्णित किया है कि अपीलांट के पिता रामप्रसाद के

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

कब्जे काश्त की भूमि ख0 सं0 3094 वाके ग्राम हिण्डोली की 4 बीघा 10 बिस्वा भूमि राज0 प्रा0 वि0 मांदोलिया का बरडा के खेल मैदान हेतु आवंटित करदी जबकि प्रार्थी–अपीलांट के पिता उक्त भूमि पर सन् 1972 से निरंतर काबिज चले आ रहे थे तथा खातेदारी भूमि की सिंचाई हेतु उक्त भूमि पर कुआ खुदवा रखा है व बाकी भूमि पर काश्त करते आ रहे थे। उनके देहांत के बाद से प्रार्थी–अपीलांट काबिज चले आ रहे है। उक्त आवंटन करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। उक्त आदेश से अपीलांट व्यथित पक्षकार है जिसके लिये अनुमति दिये जाने हेतु प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी के साथ अपील पेश की है। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख/राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सं0 2063–2066 ग्राम हिण्डोली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी ख0 नं0 3094 रकबा 11 बीघा 7 बिस्वा किस्म गे. मु.बर्डा सरकार के खाते दर्ज है। उक्त भूमि मे से 4 बीघा 10 बिस्वा भूमि ग्राम पंचायत हिण्डोली के प्रस्ताव व तहसीलदार हिण्डोली की रिपोर्ट के आधार पर प्रभारी अधिकारी प्रशासन गांव के संग अभियान 2010 मुकाम हिण्डोली (उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली) ने आदेश क्रमांक आवंटन/10/667–70 दिनांक 22.12.2010 से रा0 प्रा0 वि0 मान्दोलिया का बरडा (हिण्डोली) के खेल मैदान हेतु निःशुल्क आवंटित की है। चूंकि वादग्रस्त आराजी ख0 नं0 3094 रकबा 11 बीघा 7 बिस्वा मे से स्कूल के खेल मैदान हेतु आवंटित 4 बीघा 10 बिस्वा भूमि राजस्व रिकार्ड मे सरकारी भूमि दर्ज है। अपीलांट–प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी मे वर्णित किया है कि आवंटित उक्त भूमि पर सन् 1972 से अपीलांट के पिता निरंतर काबिज चले आ रहे थे तथा खातेदारी भूमि की सिंचाई हेतु उक्त भूमि पर कुआ खुदवा रखा है व बाकी भूमि पर काश्त करते आ रहे थे। उनके देहांत के बाद से प्रार्थी–अपीलांट काबिज चले आ रहे है। अपीलांट ने अपने उक्त तर्क/कथन के संबध मे ऐसे कोई आधार अभिलेख/राजस्व रिकार्ड पेश नही किया है तथा ना ही पत्रावली मे उपलब्ध है जिससे जेरअपील आदेश से आवंटित भूमि पर उसके पिता तथा उनके देहांत के बाद अपीलार्थी–प्रार्थी का निरंतर कब्जा काश्त रहा हो तथा उनके द्वारा भूमि के नियमन के लिये आवेदन/चाराजोही की गई हो। ऐसी स्थिति मे समुचित आधार अभिलेख के अभाव मे अपीलांट का उक्त तर्क/कथन स्वीकार्य नही है। उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य मे अपीलांट द्वारा हस्तगत प्रकरण मे प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण 2021(2) डीएनजे(रेवे.) पेज 743 चस्पा नही होता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख/राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सं0 2063–2066 ग्राम हिण्डोली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी ख0 नं0 3094 रकबा 11 बीघा 7 बिस्वा किस्म गे.मु.बर्डा सरकार के खाते दर्ज है । अतः सरकार के खाते दर्ज भूमि के संबध मे अपीलांट/प्रार्थी को विधिक तौर पर कोई अधिकार प्राप्त नही होते है। ऐसी स्थिति मे राज0 प्रा0 वि0 मांदोलिया का बरडा (हिण्डोली) के खेल मैदान हेतु आवंटित भूमि खसरा सं0 6440/3094 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा के जारी जेरअपील आदेश से अपीलांट–प्रार्थी का व्यथित पक्षकार होना प्रकट नही होता है। लिहाजा उक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 96 व्यवहार प्रकिया संहिता आधारहीन होने से खारिज किया जाकर तदानुसार अपील अपीलांट पोषणीय नही होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है।

6 निर्णय आज दिनांक 20.9.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया/टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षरित न्यायालय की मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

20/9/21

(कैलाश चन्द मीना)
संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा